



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट—<http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाषनं. — 0755-2466970, 2466859

फैक्सनं. — 0755-2462136

No: 488/SEIAA/2025

Date: 25/05/2025

प्रति,

Shri Sanjay Yadav

S/o Shri Ramadhar Yadav,

166, Shankarpur, Makshi Road, Ujjain (MP)-456006

E-mail - sanjay.ec.transfer@gmail.com

विषय :- Proposal No. SIA/MP/MIN/518448/2025- Case No. 2577/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method) in an area of 4.00 ha. for production capacity of 15,352 cum/year and Murum 6141 cum/year at Khasra No. 236, Village-Badkummed, Tehsil Ujjain, Dist-Ujjain (MP) by Shri Sanjay Yadav S/o Shri Ramadhar Yadav, 166, Shankarpur, Makshi Road, Ujjain (MP)-456006- Reg. EC validity Extension.

विषयान्तर्गत प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा 779वीं बैठक दिनांक 26.03.2025 में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति वैधता लीज अवधि तक बढ़ाये जाने की अनुशंसा कर प्रकरण दिनांक 05.04.2025 को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) को अग्रेषित किया गया। प्रश्नाधीन प्रकरण SEIAA की बैठक में विचारण नहीं होने के कारण 45 दिवस से अधिक की अवधि समाप्त हो गई है।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की ईआईए अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के पैरा 8 की कंडिका (iii) इस प्रकार है - "In the event that the decision of the regulatory authority is not communicated to the applicant within the period specified in sub-paragraphs (i) or (ii) above, as applicable, the applicant may proceed as if the environment clearance sought for has been granted or denied by the regulatory authority in terms of the final recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned."

अतः ईआईए अधिसूचना के पैरा 8 की कंडिका (iii) के अनुसार उक्त प्रकरण में SEAC की 779वीं बैठक दिनांक 26.03.2025 में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता लीज अवधि तक बढ़ाये जाने हेतु की गई अनुशंसा को अंतिम निर्णय मानते हुए राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा "Deemed Approval" माना जाकर पर्यावरण स्वीकृति की वैधता लीज अवधि तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार प्रकरण में ईआईए अधिसूचना के पैरा 8 की कंडिका (iii) के अनुसार आगामी आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने हेतु आप स्वतंत्र हैं।

(प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग द्वारा अनुमोदित)

(श्रीमन् शुक्ला)

कार्यपालन संचालक, एप्को

एवं सदस्य सचिव, SEIAA

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय म.प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल (म.प्र.)।
4. अध्यक्ष, SEIAA, एम्को पर्यावरण परिसर भोपाल (म.प्र.)।
5. अध्यक्ष SEAC, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.)।
6. सदस्य सचिव, SEAC एवं सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल।
7. कलेक्टर, जिला उज्जैन (म.प्र.)।
8. वन मंडलाधिकारी, जिला उज्जैन (म.प्र.)।
9. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल।
10. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
11. खनिज अधिकारी, जिला उज्जैन (म.प्र.)।
12. संबंधित फाईल।

की ओर सूचनार्थ।



कार्यपालन संचालक, एम्को
एवं सदस्य सचिव, SEIAA



10. Case No. 2577/2025 Shri Sanjay Yadav S/o Shri Ramadhar Yadav, 40, Mahshweta Nagar, Ujjain (MP)-456006.Prior Environment Clearance for Stone & Murum Quarry in an area of 4.00 ha. (15,352 cum/year) at Village-Badkummed, Tehsil-Ujjain, Dist-Ujjain (MP). EC validity Extension.

This is a case of mining of Stone & Murum. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site is located at *Khasra No .-236, Vill-Badkummed, Teh.-Ujjain, Distt.-Ujjain* in 4.00 ha.

The case has been submitted for **for extension of validity of EC**, the scrutiny of the case reveals that:

- Earlier, the EC was recommended by SEAC in the 194th meeting dated 31.05.2015 issued by SEIAA vide no. 3573-74/SEIAA/15 date 15-07-15.
- PP has applied for EC transfer in the name of Shri Sanjay Yadav R/o 166, Shankarpur Makshi Road Ujjain (MP) , EC Transfer issued vide letter no. 2395-96/SEIAA/22 dated 20-12-22.
- As per MoEF&CC O.M. Dated 12.04.2022 the prescribed validity of prior EC is 10 years from the date of issue. Further, the validity of EC can be extended / modified if application for the same is made before expiry of the validity of current EC.

In view of above facts it was observed by the committee that the application for amendment of EC has been submitted before the expiry of the validity period of current EC.

परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स Apex Mintech Consultants, Udaipur द्वारा प्रस्तावित खदान का दिनांक 26/03/25 समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । **प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा निम्नलिखित जानकारी दी गई:—**

खनन योजना एवं प्रगतिशील खान समापन योजना मध्यप्रदेश लघु खनिज नियम, 1996 के नियम 42(सी) के तहत प्रस्तावित खनिज स्टोन (गिट्टी) के 15,352 घनमीटर प्रतिवर्ष के उत्पादन के लिए तैयार की गई तथा सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई। इसे क्षेत्रीय प्रमुख, भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय, इंदौर द्वारा पत्र क्रमांक 381, इंदौर दिनांक 07.03.2022 के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की गई।

इसके पश्चात, पट्टाधारक श्री संजय यादव ने पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण हेतु SEIAA, भोपाल में फॉर्म 7 के माध्यम से आवेदन किया। इसके उपरांत, राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, भोपाल द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई, जिसकी वैधता 21.12.2021 से 04.12.2024 तक थी। यह स्वीकृति पत्र क्रमांक 2395/SEIAA/22 दिनांक 20.02.2022 के

तहत श्री संजय यादव के पक्ष में जारी किया गया। पट्टा धारक श्री संजय यादव ने 28.04.2023 को अगले 10 वर्षों के लिए लीज नवीनीकरण हेतु आवेदन किया। जिला कलेक्टर (खनिज शाखा), उज्जैन (म.प्र.) द्वारा मध्य प्रदेश लघु खनिज नियम 1996 के नियम 6, 18(1), 21(2) एवं 22 के तहत पत्र क्रमांक 6071/खनिज/यू.पी./ना.क्रा./2023-24, उज्जैन दिनांक 21.09.2023 के माध्यम से 10 वर्ष अर्थात् 5.12.2024 से 4.12.2034 नवीनीकरण हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) जारी किया गया।

खनन योजना एवं प्रगतिशील खान समापन योजना मध्य प्रदेश लघु खनिज नियम, 1996 के नियम 42(सी) के तहत प्रस्तावित खनिज स्टोन (गिट्टी) 15,352 घन मीटर प्रति वर्ष के उत्पादन के लिए तैयार की गई एवं सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई। इसे क्षेत्रीय प्रमुख, भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय, इंदौर द्वारा पत्र क्रमांक 38803, इंदौर दिनांक 10.06.2023 के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की गई।

- खनन पट्टा समझौता 05.12.2014 को निष्पादित और पंजीकृत किया गया था, जो 10 वर्षों की अवधि अर्थात् 05.12.2014 से 04.12.2024 तक के लिए था।
- इसके बाद, पट्टा धारक श्री संजय यादव ने दिनांक 28.06.2021 को लीज हस्तांतरण हेतु आवेदन किया, जो कि श्री संजय यादव, पिता श्री रामाधार यादव, निवासी 166, शंकरपुर, मकसी रोड, जिला उज्जैन, उज्जैन के पक्ष में था।
- आवेदन स्वीकृत कर दिया गया और जिला कलेक्टर (खनिज शाखा), उज्जैन द्वारा मध्य (प्र.म) प्रदेश लघु खनिज नियम, 1996 के नियम 35(1) के तहत पत्र क्रमांक 1671/यू.क्र.ना/पी.39-13/खनिज/2021-22, उज्जैन, दिनांक 22.12.2021 के माध्यम से लीज स्थानांतरित कर दी गई।
- खनन योजना एवं प्रगतिशील खान समापन योजना मध्य प्रदेश लघु खनिज नियम, 1996 के नियम 42(सी) के (गिट्टी) के तहत प्रस्तावित खनिज स्टोन (15,352 घन मीटर प्रति वर्ष के उत्पादन के लिए तैयार की गई तथा सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई। इसे क्षेत्रीय प्रमुख, भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय, इंदौर द्वारा पत्र क्रमांक 381, इंदौर दिनांक 07.03.2022 के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की गई। इसके पश्चात, पट्टा धारक श्री संजय यादव ने पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण हेतु SEIAA, भोपाल में फॉर्म 7 के माध्यम से आवेदन किया।
- इसके उपरांत, राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, भोपाल द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई, जिसकी वैधता 21.12.2021 से 04.12.2024 तक थी। यह स्वीकृति पत्र क्रमांक

2395/SEIAA/22 दिनांक 20.02.2022 के तहत श्री संजय यादव के पक्ष में जारी किया गया। पट्टा धारक श्री संजय यादव ने 28.04.2023 को अगले 10 वर्षों के लिए लीज नवीनीकरण हेतु आवेदन किया। जिला कलेक्टर (खनिज शाखा), उज्जैन द्वा (.प्र.म)रा मध्य प्रदेश लघु खनिज नियम 1996 के नियम 6, 18(1), 21(2) एवं 22 के तहत पत्र क्रमांक 6071/खनिज/.क्रा.ना/.पी.यू/2023-24, उज्जैन दिनांक 21.09.2023 के माध्यम से 10 वर्ष अर्थात् 5.12.2024 से 4.12.2034 नवीनीकरण हेतु आशय पत्र)Letter of Intent) जारी किया गया।

- खनन योजना एवं प्रगतिशील खान समापन योजना मध्य प्रदेश लघु खनिज नियम, 1996 के नियम 42(सी (गिट्टी) के तहत प्रस्तावित खनिज स्टोन (15,352 घन मीटर प्रति वर्ष के उत्पादन के लिए तैयार की गई एवं सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई। इसे क्षेत्रीय प्रमुख, भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय, इंदौर द्वारा पत्र क्रमांक 38803, इंदौर दिनांक 10.06.2023 के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की गई।

PP further submitted following details of the project:

	The purpose of this report is to get Validity Extension in Environmental Clearance from SEIAA, Bhopal in respect Badhkummed Stone (Gitti) Quarry, situated in Survey No. 236 (Government Land), having an area of 3.00 Ha., situated near village Badhkummed, Tehsil & District Ujjain Madhya Pradesh for proposed production capacity is 15,352 cubic meters of Stone (Gitti).
	Initially, the quarry lease for mineral Stone (Gitti) and Murrum was granted in favour of Shri Sanjay Mehta, S/o Shri Pratap Mehta, R/o 40, Mahshweta Nagar, Ujjain (Madhya Pradesh), Under Rule 18(2) of the Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996, by the District Collector (Khanij Branch), Ujjain, for a period of 10 years.
	The Environment Clearance has been obtained from State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Bhopal for a targeted production Stone (Gitti) 15,352 and Murrum 6,141 cum per annum vide letter No. 3573/SEIAA/15 dated 15.07.2015 for the above mentioned mining project.

	Mining lease agreement has been executed and registered on 5.12.2014 for a period of 10 years i.e. from 5.12.2014 to 4.12.2024.
	Thereafter, State Environment Impact Assessment Authority, Bhopal issued Environment Clearance with validity from 21.12.2021 to 4.12.2024 in favour of Shri Sanjay Yadav vide letter No. 2395/SEIAA/22 dated 20.02.2022.
	The lessee Shri Sanjay Yadav has been applied on 28.04.2023 for lease renewal for next 10 years. The renewal Letter of Intent has been issued by District Collector (Khanij Branch) Ujjain (M.P.) vide letter no. 6071/Khanij/U.P./Na. kra /2023-24 Ujjain Date 21.09.2023 Under Rule 6, 18(1), 21(2) & 22 of Madhya Pradesh Minor Mineral Rules 1996 over an area of 3.00 Ha.
	The Mining Scheme & Progressive Mine Closure Plan has been prepared for Proposed production of Mineral Stone (Gitti) 15,352 cum per annum and submitted to competent authority Under Rule 42 (C) of Madhya Pradesh Minor mineral rules, 1996. The same was approved by Regional Head Directorate of Geology & Mining, Indore, vide letter No. 38803, Indore date 10.06.2023 in name of proponent Shri Sanjay Yadav.

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति, लीज वैधता अवधि तक बढ़ाये जाने की अनुशंसा करती है।